फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :- /20

कजोड बनाम कल्याणी

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.09.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उमाशंकर चौधरी हाजिर। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान सहाय यादव ने अण्डरटेकिंग दी। प्रतिवादी संख्या 8 को सम्यक तामील के उपरान्त भी हाजिर नही, अतः अप्रार्थी संख्या 8 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी को सुनने के उपरान्त हम पाते है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार है, एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नही हुआ है। अतः वाद बहुलता को रोकन एवं वाद की विषयवस्तु को बनाऐ रखने हेतु प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में उल्लेखित भूमि पर उभय पक्षों को ताफैसलावाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	